बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
त्रिवेणी नहर प्रमंडल, रक्सौल
Email:-eeraxaul@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)–02/2025–26

पत्रांक ..../ रक्सौल, दिनांक........./........./2026

त्रिवेणी नहर प्रमंडल, रक्सौल के अन्तर्गत प्रमंडलाधीन योजनाओं के गहन अनुश्रवण एवं नहरों/वितरणियों/अवर प्रमंडलों/प्रशाखाओं के निरीक्षण एवं उच्चाधिकारियों की बैठको में भाग लेने इत्यादि कार्यों हेतु भाड़े पर एक या एक से अधिक बोलेरो/स्कारपियों के लिए जिला नजारत उपसमाहर्ता पूर्वी चम्पारण मोतिहारी का ज्ञापांक– 51 दिनांक–30.08.2025 द्वारा मुल्यांकित उद्धत दर से निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालिन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे मुहरबंद लिफाफे में दिनांक–30.03.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक त्रिवेणी नहर प्रमंडल, रक्सौल कार्यालय में जमा किया जायेगा और उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशन दाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेगें। यदि वे अनुपस्थित रहते है तो भी निर्धारित तिथि एवं समय पर कोटेशन को खोल दिया जायेगा।

शर्त्ते निम्नवत् है :–

1. भाड़े पर वाहन मार्च 2027 तक लिया जायेगा। संतोषजनक सेवा रहने पर मार्च 2028 तक एक साल के लिए एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. वाहन का मॉडल 2014 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिदिन ईंधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहन मालिक के जबाव देही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
10. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिदिन का न्यूनतम दर के कोटेशन दाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवासंतोषजनक नही होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
11. वाहन का माईलेज़ वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
12. खरीफ एवं रब्बी अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात दोनो समय में अत्यधिक होता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा।
13. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजि अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहींकरेंगे।
14. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुणे दर से कटौती कर ली जायेगी।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 1 से 14 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एव क्रमांक 05 एवं 06 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रतिकोटेशन के साथ समर्पित करेंगें। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक–30.03.2026 को 4:00 बजे अपराह्न में वैद्य कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा।

शपथ–पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

ह0–
(सुजीत कुमार)
कार्यपालक अभियंता
त्रिवंणी नहर प्रमंडल, रक्सौल

पत्रांक 414 रक्सौल, दिनांकः– ~~10.03.2026~~ 19-3-2026

प्रतिलिपि :– जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18.03.2026
(सुजीत कुमार)
कार्यपालक अभियंता
त्रिवंणी नहर प्रमंडल, रक्सौल